हिमाचल प्रदेश सरकार
से सम्बन्धित
मार्च 2006 को
समाप्त वर्ष के लिए
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
के प्रतिवेदनों
का सारांश

प्रस्तावना

यह सारांश 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल, वाणिज्यिक तथा राजस्व प्राप्तियां) के महत्वपूर्ण विषयों की झलक प्रस्तुत करता है। इन प्रतिवेदनों में हिमाचल प्रदेश सरकार, सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष सम्मिलित हैं। अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियां जो इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हैं, उनके निपटान हेतु सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों और कार्यालयाध्यक्षों के साथ मामला उठाया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई बातों के साथ-साथ लेखाओं पर अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल को भेजते हैं, जो उन्हें विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं।

राज्य सरकार के लेन-देनों पर विधानसभा को प्रस्तुत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को सिविल तथा राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति को और वाणिज्यिक अध्याय के मामले में लोक उपक्रम समिति को भेजा जाता है। सरकारी विभागों को सभी लेखापरीक्षा परिच्छेदों तथा समीक्षाओं पर की गई टिप्पणियों को लेखापरीक्षा से विधिवत् पड़ताल करवाकर समितियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। समितियां कुछ परिच्छेदों/समीक्षाओं का विस्तृत जांच हेतु चयन करती हैं तथा इसके उपरान्त उन पर अपनी टिप्पणियों तथा सिफारिशों से अन्तर्विष्ट प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों/समीक्षाओं के प्रारूप सदैव सम्बन्धित विभागों के सचिवों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किए जाते हैं, ताकि उन्हें राज्य विधानसभा को प्रस्तुत करने से पूर्व उन पर सरकार के विचार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जा सके। वित्त विभाग ने निर्धारित किया है कि प्रारूप परिच्छेदों का निपटान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए और सम्बन्धित विभागों की टिप्पणियां लेखापरीक्षा को छः सप्ताह की अवधि के भीतर सूचित की जानी चाहिए। तथापि, अधिकांश मामलों में विभागों ने प्रारूप परिच्छेदों पर निर्धारित समय में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के संदर्भ में प्रावधानों का पालन नहीं किया।

यह सारांश लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अधिक आवश्यक मामलों का केवल सारांशित विवरण है। यद्यपि हमारा यह प्रयास रहा है कि इस प्रलेख का सारांश जहां तक सम्भव हो, मूल प्रतिवेदनों जैसा हो तथापि तथ्यों तथा आंकड़ों की प्रमाणिकता हेतु मूल प्रतिवेदनों का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण हेतु सम्पर्क किए जाने वाले अधिकारियों के नाम और दूरभाष संख्या इस सारांश के पिछले कवर के भीतर के पृष्ठ पर दिए गए हैं।

विषय सूची

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	पृष्ठ संख्या
1	सिविल तथा वाणिज्यिक खण्ड-I	1
2	सिविल तथा वाणिज्यिक खण्ड-I I	14
3	राजस्व प्राप्तियां	19

राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आंकड़े

(करोड़ रूपए)

1.	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
भाग क. प्राप्तियां						
1. **राजस्व प्राप्तियां**	3,046	3,716	3,659	3,981	4,635	6,559
(i) कर राजस्व	*729(24)*	*916(25)*	*890(24)*	*984(25)*	*1,252(27)*	*1,497(23)*
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	302(41)	335(39)	383(43)	437(44)	542(43)	727(49)
राज्य आबकारी	209(29)	236(26)	274(31)	280(29)	300(24)	329(22)
वाहन कर	61(8)	133(14)	82(9)	78(8)	108(9)	102(7)
स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क	29(4)	34(4)	37(4)	52(5)	75(6)	82(5)
विद्युत कर व शुल्क	28(4)	8(1)	--*	17(2)	88(7)	89(6)
भू-राजस्व	4(1)	52(5)	5(1)	1(-)	3(-)	1(-)
माल एवं यात्री कर	43(6)	34(4)	32(3)	34(3)	38(3)	43(3)
पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	53(7)	64(7)	77(9)	85(9)	98(8)	124(8)
(ii) कर भिन्न राजस्व	*177(6)*	*198(6)*	*175(5)*	*292(7)*	*611(13)*	*690(11)*
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	*330(11)*	*325(9)*	*346(10)*	*450(11)*	*537(12)*	*493(7)*
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	*1,810(59)*	*2,277(60)*	*2,248 (61)*	*2,255(57)*	*2,235(48)*	*3,879(59)*
2. **विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	--	..	..	..	..	--
3. **कुल राजस्व तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां**	3,046	3,716	3,659	3,981	4,635	6,559
4. **ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली**	27	29	29	28	26	22
5. **लोक ऋण प्राप्तियां**	1,557	1,588	2,199	3,762	2,677	1,781
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षों के अतिरिक्त)	1,227(79)	1,465(92)	2,053(93)	3,473(92)	2,444(91)	1,753(98)
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	..	..	..	..	..
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम*	330(21)	123(8)	146(7)	289(8)	233(9)	28(2)
6. **समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (3+4+5)**	4,630	5,333	5,887	7,771	7,338	8,362
7. **आकस्मिकता निधि प्राप्तियां**	--	..	..	..	..	..
8. **लोक लेखा प्राप्तियां**	3,878	3,733	4,156	5,033	5,030	4,933
9. **राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)**	8,508	9,066	10,043	12,804	12,368	13,295
भाग ख. व्यय/संवितरण						
10. **राजस्व व्यय**	4,329	4,576	5,141	5,588	5,793	6,466
योजनागत	*1,282(30)*	*1,202(26)*	*1,386(27)*	*840(15)*	*978(17)*	*1,182(18)*
आयोजनेतर	*3,047(70)*	*3,374(74)*	*3,755(73)*	*4,748(85)*	*4,815(83)*	*5,284(82)*
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	1,614(37)	1,942(42)	2,131(42)	2,483(44)	2,723(47)	2,818(43)
सामाजिक सेवाएं	1,561(36)	1,543(34)	1,609(31)	1,933(35)	1,890(33)	2,309(36)
आर्थिक सेवाएं	1,134(26)	1,070(23)	1,346(26)	1,169(21)	1,177(20)	1,333(21)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	20(1)	21(1)	55(1)	3(..)	3(-)	6(-)
11. **पूंजीगत व्यय**	549	650	860	785	654	821
योजनागत	*554(100)*	*650(100)*	*862(100)*	*781(100)*	*630(96)*	*820 (100)*
आयोजनेतर	*(-)5*	..	*(-)2*	*(-)4*	*24(4)*	*1 (-)*
सामान्य सेवाएं	19(3)	8(1)	11(1)	23(3)	30(5)	52 (6)
सामाजिक सेवाएं	228(42)	270(42)	244(28)	304(39)	330(50)	369 (45)

*. 25 लाख रू0 केवल।

		आर्थिक सेवाएं	302(55)	372(57)	605(71)	458(58)	294(45)	400(49)
12.		ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	40	30	28	20	24	14
13.		जोड़ (10+11+12)	4,918	5,256	6,029	6,393	6,471	7,301
14.		लोक ऋणों की चुकौती	414	164	684	1,855	1,659	1,308
		आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षों के अतिरिक्त)	47(11)	88(54)	146(21)	763(41)	581(35)	1,219 (93)
		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	17(4)	(-)249 ((-)152)	97(14)	152(8)	95(6)	23 (2)
		भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम#	350(85)	325(198)	441(65)	940(51)	983(59)	66(5)
15.		आकस्मिकता निधि को विनियोग	..	..	..	..	..	..
16.	सकेकित निधि में से कुल संवितरण		5,332	5,420	6,713	8,248	8,130	8,609
17.	आकस्मिकता निधि संवितरण		..	..	..	..	..	..
18.	लोक लेखा संवितरण		3,164	3,546	3,462	4,789	4,027	4,387
19.	राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)		8,496	8,966	10,175	13,037	12,157	12,996
भाग.ग घाटा								
20.	राजस्व घाटा(-)/(+)अधिशेष (1-10)		(-)1,283	(-)860	(-)1,482	(-)1,607	(-)1,158	(+)93
21.	राजकोषीय घाटा (3+4-10)		(-)1,845	(-)1,511	(-)2,341	(-)2,384	(-)1,810	(-)720
22.	प्राथमिक घाटा(-)/(+)अधिशेष (21-23)		(-)1,047	(-) 469	(-)1,169	(-)911	(-)169	(+)843
भाग. घ अन्य आंकड़े								
23.	ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)		798	1,042	1,172	1,473	1,641	1,563
24.	राजस्व बकाया♣ (कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)		261(29)	264(20)	181(14)	405(32)	365(20)	397(18)
25.	स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता		213	169	186	273	275	380
26.	प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्षों (दिनों में)		185	300	271	250	120	13
27.	अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्षों पर ब्याज		4.96	9.16	7.65	7.13	2.34	0.32
28.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद♦		13,590	14,969	16,235	18,062	20,093	22,386
29.	बकाया ऋण (वर्षान्त)		8,621	10,220	12,393	14,437	16,533	17,432
30.	बकाया गारण्टियां (वर्षान्त)		3,804	4,418	4,503	4,682	4,751	3,587
31.	अधिकतम गारण्टी राशि (वर्षान्त)		4,268	5,112	5,436	6,144	6,409	5,526
32.	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या		17	3	8	14	39	15
33.	अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी		30	4	17	46	58	25

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के कुल की प्रतिशतता (पूर्णांक) दर्शाते हैं।

\# भारत सरकार से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित हैं।

♣ स्रोत: 2005-2006 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) का परिच्छेद 1.6

♦ सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़ों हेतु स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार का आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, वर्ष 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 राज्य सरकार द्वारा संशोधित कर दिये हैं तथा वर्ष 2005-2006 के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा आपूरित 'अग्रिम प्राक्कलन' है ।

वित्त लेखों का सारांश

2004-05	प्राप्तियां	2005-06	2004-05	संवितरण		2005-2006	
प्रवर्ग-क: राजस्व							
					आयोजनेतर	योजनागत	कुल
4,634.51	I. राजस्व प्राप्तियां	6,558.63	5,792.93	I. राजस्व व्यय	5,283.85	1,182.31	6,466.16
1,251.89	कर राजस्व	1,497.02	2,722.58	सामान्य सेवाएं	2,799.79	18.29	2,818.08
610.77	कर-भिन्न राजस्व	689.68	1,890.49	सामाजिक सेवाएं	1,642.87	665.64	2,308.51
537.32	संघीय करों/शुल्कों का अंश	493.26	1,176.99	आर्थिक सेवाएं	835.00	498.38	1,333.38
2,234.53	भारत सरकार से अनुदान	3,878.67	2.87	सहायता अनुदान/अंशदान	6.19	..	6.19
प्रवर्ग-ख: पूंजीगत							
..	II. विविध पूंजीगत प्राप्तियां		653.98	II. पूंजीगत परिव्यय	1.33	819.43	820.76
25.79	III. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	21.97	23.78	III. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	0.62	13.51	14.13
2,676.92	IV. लोक ऋण प्राप्तियां	1,781.47	1,659.22	IV. लोक ऋण की चुकौतियां*	..	..	1,308.03
..	V. आकस्मिक निधि	..	..	V. आकस्मिक निधि	..	..	..
5,029.65	VI. लोक लेखा प्राप्तियां	4,933.39	4,026.94	VI. लोक लेखा संवितरण	..	..	4,386.69
(-) 318.45	अथशेष	(-)108.43	(-)108.43	अंतशेष	..	..	191.26
12,048.42	कुल:	13,187.03	12,048.42	कुल:			13,187.03

विनियोग लेखाओं का सारांश

(करोड़ रूपए)

		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	जोड़	वास्तविक व्यय◆	बचत (-) / आधिक्य(+)
दत्तमत्त	I राजस्व	4,378.90	676.28	5,055.18	5,401.43	(+)346.25
	II पूंजीगत	679.63	223.85	903.48	904.38	(+)0.90
	III लोक ऋण तथा अग्रिम	35.68	1.36	37.04	14.13	(-)22.91
कुल दत्तमत्त		5,094.21	901.49	5,995.70	6,319.94	(+)324.24
प्रभारित	IV राजस्व	1,734.93	42.53	1,777.46	1,575.84	(-)201.62
	V पूंजीगत	3.00	11.26	14.26	6.39	(-)7.87
	VI लोक ऋण तथा अग्रिम	928.71	476.11	1,404.82	1,540.81#	(+)135.99
कुल प्रभारित		2,666.64	529.90	3,196.54	3,123.04	(-)73.50

---

* अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष के अतिरिक्त ।

◆ व्यय अर्थात राजस्व व्यय: 511.12 करोड़ रू0; पूंजीगत व्यय: 90.01 करोड़ रू0 की कमी में समायोजित वसूलियों सहित सकल आंकड़े हैं।

\# भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की चुकौती के संदर्भ में 255.27 करोड़ रू0 सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में (i) हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2005-2006 के वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों पर टिप्पणियां, (ii) "सर्व शिक्षा अभियान", "मलव्यवस्था स्कीमें", "खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्नों का उपदान तथा प्रबन्धन", "वन्य प्राणी संरक्षण सहित राष्ट्रीय उपवन", "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना", "वृद्धावस्था/विधवा पैंशन स्कीम" तथा "बागवानी विभाग की आंतरिक नियंत्रण पद्धति" पर सात निष्पादन समीक्षाएं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के लेन-देनों तथा लेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित विषयों पर परिच्छेद सम्मिलित हैं।

मुख्य-मुख्य बातें

- राज्य सरकार भारी रूप से भारत सरकार पर निर्भर है क्योंकि सहायता अनुदान व केन्द्रीय कर अंतरण राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का 67 प्रतिशत बनता है।
- राज्य सरकार के राजकोषीय दायित्व वर्ष 2005-2006 में वर्ष 2000-2001 की तुलना में 102 प्रतिशत बढ़ गए।
- सामान्य सेवाओं तथा ब्याज भुगतानों पर व्यय जिसे गैर-विकासात्मक माना गया वर्ष 2005-2006 के दौरान राज्य के कुल व्यय का 39.31 प्रतिशत था। वर्ष 2005-2006 के दौरान केवल ब्याज भुगतान ही राजस्व व्यय का 24.17 प्रतिशत था।
- वर्ष 2000-2006 के दौरान 9.20 से 11.06 प्रतिशत की औसत दरों पर उच्च लागत के बाजारी ऋणों की तुलना में सरकारी निवेशों से 0.3 प्रतिशत से कम आय प्राप्त हुई।
- वर्ष 2001-2006 के दौरान किया गया 14,718.20 करोड़ रू0 का अधिक व्यय नियमित नहीं करवाया गया, जैसाकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत अपेक्षित था।
- वर्ष के दौरान तीन मामलों में 41.46 करोड़ रू0 का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था, क्योंकि इन मामलों में किया गया व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था।
- 2001-2006 के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा 28 प्रतिशत निधियां निस्तारित न करने के कारण "सर्व शिक्षा अभियान" का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।
- योजनाएं तैयार करने हेतु समुदाय तथा आधारभूत स्तर के कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई।
- प्रत्येक प्राथमिक पाठशाला में दो अध्यापकों की न्यूनतम आवश्यकता के प्रति 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 के दौरान क्रमशः 1,488, 1,273 तथा 1, 478 प्राथमिक पाठशालाओं में केवल एक अध्यापक प्रदान किया गया।
- मलप्रवाह सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सभी शहरों को चरणबद्ध ढंग से आवृत्त करने के लिए मुख्य योजना तैयार नहीं की गई। निर्धारित नीति की उपेक्षा करते हुए मलप्रवाह स्कीम छोटे शहरों में प्रारम्भ की गई, जबकि एक जिला मुख्यालय तथा कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तथा पर्यटक स्थान आवृत्त नहीं किए गए।
- धर्मशाला, हमीरपुर तथा ज्वालामुखी शहरों में मलप्रवाह प्रणाली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 2001-2005 के दौरान प्रदान की गई निधियों का राज्य सरकार द्वारा अनाधिकृत रूप से अपवर्तन किया गया।

- प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर सम्पन्न की गई दो मलप्रवाह स्कीमों को कार्यात्मक नहीं किया गया।

- दसवी पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की शिनाख्त का कार्य जो 31 मार्च 2003 मे पूर्ण करना अपेक्षित था, नहीं किया गया।

- राज्य की राशन कार्ड जनसंख्या वास्तविक जनसंख्या से अधिक थी जो राशन कार्ड जारी करने पर नियंत्रण के अभाव का द्योतक था।

- उपवनों तथा वन्यप्राणी शरण्यस्थलों के केन्द्रित विकास तथा इनका वैज्ञानिक व व्यवस्थित रूप से संवर्धन करने हेतु प्रबन्धन योजनाएं अनुमोदित नहीं की गई।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय उपवनों तथा वन्यप्राणी शरण्यस्थलों में वृक्ष काटे गए तथा अन्य निषिद्ध गतिविधियां की गई।

- "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" का कार्यान्वयन करने के लिए जिला पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्रवाई योजनाएं तैयार नहीं की गई।

- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित वासक्षेत्रों/वार्डों में आवश्यकता पर आधारित ग्राम अवसंरचना का सृजन करने हेतु चिन्हित निधियां स्कीम के अन्य संघटकों के लिए प्रयुक्त की गई।

- महिला लाभार्थियों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन करने में 81 प्रतिशत की कमी थी।

- पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय अनुसूची नियत नहीं की गई थी। पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में 13 तथा 93 मास के मध्य का विलम्ब था।

- कृषि विभाग द्वारा भण्डारों का लेखांकन करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने में की गई उपेक्षा के फलस्वरूप 33.13 लाख रू0 की राशि के भण्डारों की हेराफेरी हुई।

- अधिशासी अभियंता, जनस्वास्थ्य मण्डल संख्या-।।, शिमला द्वारा संहिता औपचारिकताओं का पालन किए बिना एक सम्पर्क मार्ग को चौड़ा करने पर 1.54 करोड़ रू0 का अनधिकृत व्यय किया गया।

- चार उपायुक्तों द्वारा उन अन्य कार्यों जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नहीं हुए थे, के लिए आपदा राहत निधियों का अपवर्तन किया गया।

- निदेशक, बागवानी विभाग द्वारा एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत 8.07 करोड़ रू0 की अप्रयुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार को भेजे गए।

राज्य सरकार के वित्त लेखे

राज्य सरकार के वित्त लेखे उपयुक्त वर्गीकरणों के अन्तर्गत प्राप्तियों तथा व्यय दोनों से सम्बन्धित सभी लेन-देनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। सरकारी लेखों में सभी लेन-देनों के सारांश के अतिरिक्त वित्त लेखों में (क) ऋण स्थिति का सारांश, (ख) राज्य सरकार के ऋण तथा अग्रिम, (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां तथा (घ) बकायों के सारांश सम्मिलित हैं। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्नवत् हैं:

	कुल प्राप्तियां: 7,601 करोड़ रू0			
	इनमें से			*(करोड़ रूपए)*
♣	कर प्राप्तियां	:	1,497	*(20 प्रतिशत)*
♣	कर-भिन्न प्राप्तियां	:	690	*(9 प्रतिशत)*
♣	संघीय करों, शुल्कों व सहायता अनुदानों के सम्बन्ध में राज्यांश के रूप में भारत सरकार से प्राप्तियां	:	4,372	*(58 प्रतिशत)*
♣	ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां	:	22	*(एक प्रतिशत से कम)*
♣	अधिविकर्ष के अतिरिक्त लोक ऋण में वृद्धि	:	473	*(6 प्रतिशत)*
♣	लोक लेखों से निवल प्राप्तियां	:	547	*(7 प्रतिशत)*
	कुल संवितरण: 7,601 करोड़ रू0	:		
	निम्नवत् पर लागू	:		
♣	राजस्व व्यय	:	6,466	*(85 प्रतिशत)*
♣	विकास एवं अन्य प्रयोजनों हेतु उधार	:	14	*(एक प्रतिशत से कम)*
♣	पूंजीगत व्यय	:	821	*(11 प्रतिशत)*
♣	अंतशेष नकद बकाया में वृद्धि	:	300	*(4 प्रतिशत)*

केन्द्रीय अंतरणों पर आश्रितता	2005–2006 के दौरान भारत सरकार से केन्द्रीय कर अंतरण तथा सहायता अनुदान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 67 प्रतिशत था।
राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि	राज्य की राजकोषीय दायिताएं 2000–2001 में 8,621 करोड़ रू0 से बढ़कर 2005–2006 में 17,432 करोड़ रू0 (102 प्रतिशत) हो गई। 2005–2006 के अंत में ये दायिताएं इसकी राजस्व प्राप्तियों का 2.66 गुणा तथा अपने स्रोतों का 7.97 गुणा थी।
निधियों का उपयोग मुख्यतः राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया	कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रधान हिस्सा था। राज्य का समस्त राजस्व व्यय 8.23 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर पर 2000–2001 में 4,329 करोड़ रू0 से 2005–2006 में 6,466 करोड़ रू0 होकर 49.37 प्रतिशत बढ़ गया।
अविकासात्मक व्यय एवं ब्याज की अदायगियां	2005–2006 के दौरान सामान्य सेवाओं तथा ब्याज भुगतान जिसे अविकासात्मक व्यय के रूप में लिया गया पर व्यय राज्य सरकार के कुल व्यय का 39.31 प्रतिशत था। 2005–2006 के दौरान केवल ब्याज भुगतान ही राजस्व व्यय का 24.17 प्रतिशत था।
वेतन तथा पैंशन पर अधिक व्यय	2005–2006 के दौरान वेतन तथा मजदूरी पर 2,515 करोड़ रू0 का व्यय राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय शुद्धि पथ में प्रक्षेपित 2,273 करोड़ रू0 से 342 करोड़ रू0 (15 प्रतिशत) अधिक था। पैंशन भुगतान 11.89 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर पर 2000–2001 में 391 करोड़ रू0 से 2005–2006 में 71.35 प्रतिशत बढ़कर 670 करोड़ रू0 हो गए।
पूंजीगत व्यय का शेयर	2005–2006 के दौरान पूंजीगत व्यय का शेयर कुल व्यय का केवल 11 प्रतिशत था।
निवेशों से नगण्य प्रतिफल	सरकार ने वर्ष 2005–2006 के अंत तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में 1,842 करोड़ रू0 निवेश किया था। जबकि सरकार ने वर्ष 2000–2006 के दौरान बाजार से 9.20 तथा 11.06 प्रतिशत के मध्य की औसत ब्याज की दर से उच्च लागत पर उधार लिए थे, किन्तु इसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिफल 0.3 प्रतिशत के लगभग था।

अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष

2005-2006 के दौरान सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम नकद बकाया का अनुरक्षण नहीं कर सकी तथा 233 करोड़ रू0 के 13 दिनों के अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त किए। वर्ष के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों पर 0.32 करोड़ रू0 के ब्याज का भुगतान किया गया।

आवंटनीय अग्रताएं तथा विनियोजन

विनियोजन लेखे प्रत्येक दत्तमत्त अनुदान तथा प्रभारित विनियोजन के अन्तर्गत बजट अनुदानों में विधानसभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की सकल राशि (मूल तथा अनुपूरक)के प्रति प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अन्तर्गत किए गए वास्तविक व्यय एवं बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं। अनुदान से अधिक किए गए किसी भी व्यय का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा विनियमन किया जाना अपेक्षित होता है।

एक झलक

(करोड़ रूपए)

कुल प्राधिकृत	:	9,192.24
मूल	:	7,760.85
अनुपूरक	:	1,431.39
कुल व्यय	:	9,442.98
कुल आधिक्य	:	250.74

बचतें/आधिक्य

250.74 करोड़ रू0 का निवल आधिक्य 42 मामलों में बचतों (595.59 करोड़ रू0) तथा 24 मामलों में आधिक्यों (846.33 करोड़ रू0) के फलस्वरूप था।

अधिक व्यय को नियमित नहीं करवाया गया

सरकार द्वारा 2001-2006 के दौरान विधानसभा द्वारा संस्वीकृत राशि से अधिक किये गये 14,718.20 करोड़ रू0 के व्यय का नियमन करवाया जाना अगस्त 2006 तक बाकी रह गया।

अनुपूरक अनुदान

तीन मामलों में प्राप्त किया गया 41.46 करोड़ रू0 का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल बजट प्रावधानों से कम था।

विवेकहीन पुनर्विनियोजन आठ अनुदानों/विनियोजनों से ग्रस्त ग्यारह उपशीर्षों के मामले में 71.68 करोड़ रू0 का विवेकहीन रूप से पुनर्विनियोजन किया गया, क्योंकि मूल अनुदान पर्याप्त थे अथवा पुनर्विनियोजन हेतु कोई बचतें उपलब्ध नहीं थी।

वसूलियों का कम आकलन 2005-2006 के दौरान व्यय की कमी में वसूलियों का भारी रूप से 302.58 करोड़ रू0 का कम आकलन किया गया।

निष्पादन समीक्षाएं

शिक्षा विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

स्कीम के मुख्य उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक तथा लिंग के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से समुदाय की सक्रिय सहभागिता के द्वारा 6 से 14 वर्षों के आयु समूह के सभी बच्चों को 2010 तक लाभदायक तथा प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निधियों की अपर्याप्तता तथा आधारभूत स्तर पर लोगों की सहभागिता न होने के कारण कार्यक्रम प्रभावित हुआ वर्ष 2001-2002 से 2005-2006 तक 396.19 करोड़ रू0 के अनुमोदित परिव्यय के प्रति केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने 109 करोड़ रू0 (28 प्रतिशत) कम निस्तारित किए, जिससे स्कीम का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त लोगों की आधारभूत स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई।

प्रत्येक प्राथमिक पाठशाला में न्यूनतम दो अध्यापक सुनिश्चित नहीं किए गए न्यूनतम दो अध्यापकों की अपेक्षित प्रतिनियुक्तियों के प्रति 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 के दौरान क्रमश: 1,488, 1,273 तथा 1,478 प्राथमिक पाठशालाओं में केवल एक अध्यापक प्रदान किया गया। चम्बा, हमीरपुर, सोलन तथा शिमला के चार जिलों की तैतालीस पाठशालाएं जिनमें 980 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, 2005-2006 के दौरान बिना किसी अध्यापक के कार्य कर रही थीं।

बिना भवनों की पाठशालाएं 7 जिलों (चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सोलन तथा ऊना) की 367 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक पाठशालाओं के अपने भवन नहीं थे।

मध्याह्न भोजन स्कीम चलाने हेतु एलपीजी कनैक्शन प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित अनुदान का अपवर्तन किया गया। 2004-2006 के दौरान 7 जिलों में मध्याह्न भोजन स्कीम चलाने हेतु 7,200 प्राथमिक पाठशालाओं में एलपीजी कनैक्शन प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय पाठशाला उपस्करों के प्रतिस्थापनार्थ 1.10 करोड़ रू0 का अपवर्तन किया गया।

पाठशाला के बच्चों को मानकों से अधिक सहायता प्रदान की गई

2002-2006 के दौरान बच्चों को विशिष्ट सहायता प्रदान करने के लिए 1.14 करोड़ रू0 का मानकों से अधिक व्यय किया गया।

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

मलप्रवाह स्कीमें

उद्देश्य

स्वस्थ रहने के लिए लोगों को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मुख्य योजना तैयार नहीं की गई

निर्धारित नीति की उपेक्षा करते हुए मलप्रवाह स्कीमें छोटे शहरों में प्रारम्भ की गई, जबकि एक जिला मुख्यालय तथा कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों तथा पर्यटक स्थानों को आच्छादित नहीं किया गया।

ग्यारहवें वित्त आयोग के पंचाट के अन्तर्गत विशेष समस्या अनुदान पूर्ण रूप से निस्तारित नहीं किया गया

धर्मशाला, हमीरपुर तथा ज्वालामुखी शहरों में 2001-2005 के दौरान मलप्रवाह प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 30 करोड़ रू0 के विशेष समस्या अनुदान के आवंटन के प्रति राज्य सरकार द्वारा 5.13 करोड़ रू0 का अनाधिकृत रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए अपवर्तन कर दिया गया।

तीर्थ स्थानों पर सम्पन्न की गई दो मलप्रवाह स्कीमों का प्रचालन नहीं किया गया

ज्वालामुखी तथा श्री नयना देवी जी के तीर्थ स्थानों पर क्रमशः अक्तूबर 2005 तथा मार्च 1998 में प्रारम्भ/सम्पन्न की गई मलप्रवाह स्कीमों का 9.36 करोड़ रू0 का व्यय करने के बाद भी प्रचालन नहीं किया गया।

मलप्रवाह उपचार संयंत्रों ने इष्टतम स्तर पर कार्य नहीं किया

2005-2006 के दौरान 76.01 करोड़ रू0 के व्यय पर प्रारम्भ तथा अनुरक्षित किए गए शिमला की मलप्रवाह प्रणाली के 6 मलप्रवाह उपचार संयंत्रों ने इष्टतम स्तर पर कार्य नहीं किया।

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग

खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्नों का उपदान तथा प्रबन्धन

उद्देश्य

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की शिनाख्त नहीं की गई

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की जनगणना से सम्बन्धित प्रक्रिया जिसे 31 मार्च 2003 तक पूर्ण करना अपेक्षित था, पूर्ण नहीं की गई थी।

राज्य की राशन कार्ड जनसंख्या वास्तविक जनसंख्या से अधिक थी

राज्य की राशन कार्ड जनसंख्या वास्तविक जनसंख्या से अधिक थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश, 2001 के प्रावधानों के अनुसार आवधिक जांच तथा अपात्र व जाली कार्डों की छंटनी नहीं की गई थी।

खाद्यान्नों का वितरण निर्धारित मात्रा से अधिक किया गया

2003-2006 के दौरान 24.82 करोड़ रू0 के उपदान से अंतर्ग्रस्त 1,02, 691 मीट्रिक टन के खाद्यान्नों का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में निर्धारित मात्रा से अधिक वितरण किया गया।

उपभोक्ताओं को घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई

2001-2006 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को 16,305 मीट्रिक टन के घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई।

वन विभाग

वन्य प्राणी संरक्षण सहित राष्ट्रीय उपवन

उद्देश्य

संरक्षित क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा, विकास तथा उनका वैज्ञानिक रूप से प्रबन्धन करना तथा संरक्षित क्षेत्रों के आसपास एकीकृत पारिस्थितिकी विकास कार्य करना।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

उपवनों तथा शरण्यस्थलों के विकास व उनका व्यवस्थित रूप से संवर्धन करने हेतु प्रबन्धन योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया

सभी 32 वन्यप्राणी शरण्यस्थलों तथा दो राष्ट्रीय उपवनों के सन्दर्भ में उपवनों तथा शरण्यस्थलों के विकास व उनका व्यवस्थित रूप से संबर्धन करने हेतु प्रबन्धन योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

विभाग संरक्षित क्षेत्रों को पहुंचाई गई हानि की लागत की वसूली करने में विफल रहा

उपचार योजना कार्यों की लागत, पर्यावरण को पहुंचाई गई हानि तथा परिवर्तित भूमि पर खड़े वृक्षों की लागत वसूल करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप राज्य सरकार को 8.77 करोड़ रू0 की हानि हुई।

उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए निषिद्ध गैर-वानिकी कार्यकलाप अनुमत किया गया

भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय उपवनों तथा शरण्यस्थलों में वन्यप्राणी क्षेत्र का अधिक्रमण, वृक्षों को अवैध रूप से गिराया जाना तथा प्रवासी चरवाहों को अनुमति जैसे निषिद्ध कार्य किए गए।

विभाग वृक्षों की अवैध कटाई पर नियंत्रण रखने में विफल रहा

भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए शरण्यस्थलों से 17.18 करोड़ रू0 के मूल्य के 3,774 वृक्षों को गिराना अनुमत किया गया।

ग्रामीण विकास विभाग

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करना, स्थायी समुदाय तथा सामाजिक व आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन तथा अवसंरचनात्मक विकास करना।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार नहीं की गई

नमूना जांचित जिलों में जिला पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार किए बिना 49.08 करोड़ रू0 का व्यय किया गया।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित वास क्षेत्रों में आवश्यकता पर आधारित ग्राम अवसंरचना का सृजन करने के लिए चिन्हित निधियां अन्य संघटकों के लिए प्रयुक्त की गई

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित वास क्षेत्रों/वार्डों में आवश्यकता पर आधारित ग्राम अवसंरचना का सृजन करने के लिए चिन्हित 8.92 करोड़ रू0 2002-2006 के दौरान स्कीम के अन्य संघटकों पर प्रयुक्त किए गए। इसी प्रकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के व्यक्तिगत कार्यों के लिए चिन्हित 1.66 करोड़ रू0 स्कीम के अन्य संघटकों पर व्यय किए गए।

महिलाओं के लिए अपर्याप्त रोजगार उत्पादन

महिला लाभार्थियों के लिए अपेक्षित 42.85 लाख कार्य दिवसों के प्रति राज्य सरकार 2002-2006 के दौरान केवल 8.25 लाख कार्य दिवस उत्पादित कर सकी।

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

वृद्धावस्था/विधवा पैंशन स्कीम

उद्देश्य

वृद्ध व्यक्तियों/विधवाओं जिनके पास जीविका के अपर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, को सामाजिक सुरक्षा तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान करने के लिए लम्बित मामलों के वर्षवार आंकड़े तैयार नहीं किए गए

विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान करने हेतु समेकित आंकड़ों का वर्षवार अनुरक्षण नहीं किया था जिसके अभाव में पात्र व्यक्तियों को पैंशन स्वीकृति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। 2001-2006 के दौरान पैंशन भोगियों की संख्या, बजट आवंटन तथा पैंशन पर वास्तविक व्यय में कोई सहलग्नता नहीं थी।

पैंशन मामलों को अंतिम रूप देने में विलम्ब

पैंशन मामलों के निपटान हेतु समय अनुसूची निर्धारित नहीं की गई थी। पैंशन मामले की प्रक्रिया में लिए जाने वाले समय के रूप में एक वर्ष की अवधि अनुमत करने के पश्चात् पैंशन मामलों को अंतिम रूप देने में 13 तथा 93 मासों के मध्य का विलम्ब हुआ।

बागवानी विभाग

आंतरिक नियंत्रण पद्धति

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मिथ्या उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

22.03 करोड़ रू0 की वास्तविक उपयोगिता के प्रति 2003-2006 के दौरान "बागवानी के एकीकृत विकास हेतु प्रौद्यौगिकी लक्ष्य" नामक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त की गई 30.50 करोड़ रू0 की समस्त राशि भारत सरकार को प्रयुक्त की गई के रूप में प्रतिवेदित की गई। वास्तव में मार्च 2006 तक 8.47 करोड़ रू0 का व्यय नहीं किया गया था।

लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी

2001-2006 के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के चार संघटकों तथा चार राज्य स्कीमों के सन्दर्भ में नियत किए गए लक्ष्यों की उपलब्धि में 16 तथा 100 प्रतिशत के मध्य की कमी के कारणों की जांच नहीं की गई।

लेनदेनों की लेखापरीक्षा

धोखेबाजी/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां

भण्डारों की हेराफेरी

निदेशक, कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश की ओर से भण्डारों के लेखांकन हेतु विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने में की गई उपेक्षा के फलस्वरूप एक अतिरिक्त सहायक अभियंता द्वारा 33.13 लाख रू0 के भण्डारों की हेराफेरी की गई।

अधिक अदायगी/अपव्यय/निष्फल/निरर्थक व्यय

पैंशन भोगियों/ पारिवारिक पैंशन भोगियों को अधिक अदायगी

कोषाधिकारियों/उप-कोषाधिकारियों द्वारा पैन्शन भुगतान आदेशों में निर्धारित अवधि के उपरान्त पारिवारिक पैन्शन में कमी तथा पैंशन के परिवर्तित मूल्य में कमी, आदि से सम्बन्धित अनुदेशों का पालन न करने के फलस्वरूप 21.34 लाख रू0 की अधिक अदायगी हुई।

सिंचाई/जलापूर्ति स्कीमों, सड़कों तथा शौचालयों के निर्माण पर अपव्यय

उठाऊ सिंचाई स्कीमों, माशू (सिरमौर जिला) तथा श्री नयना देवी जी (बिलासपुर जिला) के निर्माण पर किया गया 39.94 लाख रू0 का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि अपर्याप्त सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के कारण इन स्कीमों ने कार्य नहीं किया।

इसी प्रकार गांव चिकजर (स्पिती घाटी) को जाने वाले संपर्क मार्ग तथा कुल्लू जिला के चार पर्यटक स्थलों पर शौचालयों के निर्माण पर किया गया 61.23 लाख रू0 का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि इन परियोजनाओं की अनुपयुक्त योजना के कारण अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं किए गए।

सिंचाई स्कीमों, सड़क तथा मिनी जल परियोजना पर निष्फल व्यय

2001-2005 के मध्य पूर्ण किए गए 6 सिंचाई कार्यों पर किया गया 131.96 लाख रू0 का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ, क्योंकि वर्षा द्वारा की गई बारम्बार क्षतियों तथा खेतों में जलमार्गों का निष्पादन न करने आदि के कारण कृषि कमांद क्षेत्र में कोई सिंचाई प्रदान नहीं की गई।

लाहौल तथा स्पिति जिला में हंसा तथा कियामों गांव में मध्य पहुंच मार्गों (नवम्बर 2002) के निर्माण (19.07 लाख रू0) तथा मण्डी जिला में अरनोधी खड्ड पर इस्पात के कैंची पुल (मार्च 2005) के निर्माण (46.14 लाख रू0) पर किया गया 65.21 लाख रू0 का व्यय पूर्ववर्ती मामले में पुल के लिए स्थल को अन्तिम रूप न देने तथा उत्तरवर्ती मामले में पहुंच मार्गों का निर्माण न करने के कारण निष्फल सिद्ध हुआ।

पांगी घाटी (चम्बा जिला) में पुर्थी मिनी जल परियोजना से विद्युत का नगण्य उत्पादन होने के कारण इसके निर्माण तथा प्रचालन अनुरक्षण पर किया गया 1.99 करोड़ रू0 का व्यय निष्फल हुआ।

सिंचाई स्कीमों, नलकूपों, सम्पर्क मार्गों तथा पैदल चलने वाले पुल के निर्माण पर निष्फल व्यय

फरवरी 2000-अप्रैल 2003 के दौरान कांगड़ा जिला में बांदी मसंदकर तथा चबातरा में प्रवाह सिंचाई स्कीमों के निर्माण (25.72 लाख रू0) तथा सोलन जिला में रत्योर तथा धबोटा माजरा गांव में दो नलकूपों की ड्रिल्लिंग (17.64 लाख रू0) पर फरवरी 2000-अप्रैल 2003 में किया गया 43.36 लाख रू0 का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ, क्योंकि अनाधिकृत विचलन तथा अपर्याप्त पानी के छोड़ने के कारण इन निर्माण कार्यों का आगामी निष्पादन रोक दिया गया। फरवरी 2000-अगस्त 2004 के दौरान लाहौल तथा स्पिति जिला में सिचलिंग से पोमरंग तक सम्पर्क मार्ग (0.85 करोड़ रू0) तथा शिमला जिला में लूरी-सुन्नी से गांव तेशान, चिल्लाला-रितवासा, समाला-जबरालू-जूनीधार तथा कण्डा सम्पर्क मार्ग (1.14 करोड़ रू0) के निर्माण पर किया गया 1.99 करोड़ रू0 का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ, क्योंकि भू-अर्जन न करने के कारण आगामी निष्पादन रोक दिया गया।

अनधिकृत विचलन

दराबला (शिमला जिला) को जाने वाले 2.5 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग को चौड़ा करने के लिए 29.28 लाख रू0 के कार्यचालन प्राक्कलन के प्रति अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य मण्डल संख्या-II, शिमला द्वारा 1.54 करोड़ रू0 का व्यय किया गया, जबकि कार्य का वास्तविक निष्पादन 904 मीटर की लम्बाई में किया गया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना भारी विचलन किए गए।

संविदाकारों को अनुचित अनुग्रह/परिहार्य व्यय

ब्याज की परिहार्य अदायगी तथा अनुचित वित्तीय सहायता

निदेशक, खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता कार्य द्वारा हिमाचल प्रदेश शहरी विकास अभिकरण को कार्यालय भवन की लागत की अदायगी करने में विलम्ब के फलस्वरूप 52.60 लाख रू0 की राशि के ब्याज की परिहार्य अदायगी हुई। एक अन्य मामले में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य मण्डल संख्या-II, शिमला द्वारा सिमेंट के उपार्जन हेतु मार्च 2005 में आहरित किए गए 4.46 करोड़ रू0 हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम के पास जमा करवाए गए। तथापि मण्डल द्वारा यह राशि जनवरी 2006 में वापिस ले ली गई, जो मार्च 2006 तक अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। इसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम को 4.46 करोड़ रू0 की अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा 26.60 लाख रू0 की राशि के ब्याज की हानि हुई।

निरर्थक निवेश/निधियों का अवरोधन/निधियों का अपवर्तन

निरर्थक निवेश तथा निधियों का अवरोधन

पांवटा साहिब शहर (सिरमौर जिला) के लिए 29.88 लाख रू0 (1999-2000) की लागत की मलप्रवाह स्कीम के आंचल-I को प्रारम्भ न करने, 44. 67 लाख रू0 (दिसम्बर 2002) की लागत पर उप-कारागार, सोलन का अव्यवस्थित रूप से निर्माण करने, भदवार-खेरियां सड़क (कांगड़ा जिला) जिसका 43.33 लाख रू0 की लागत पर निर्माण किया गया (मार्च 2004) की ढालू प्रवणता तथा 121.68 लाख रू0 की लागत पर निर्मित किए गए (मार्च 2003) राजकीय बहुशिल्प संस्थान, तलवार (कांगड़ा जिला) में पाठ्यक्रम प्रारम्भ न करने के कारण 239.56 लाख रू0 का निवेश निरर्थक सिद्ध हुआ।

आपदा राहत निधियों का अपवर्तन

बिलासपुर, कुल्लू, शिमला तथा ऊना जिलों के उपायुक्तों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षतियों के पुनः स्थापन के लिए संस्वीकृत की गई 1.69 करोड़ रू0 की राशि की निधियों का नवीन निर्माण कार्यों के लिए अपवर्तन किया गया।

नियामक मामले तथा अन्य तथ्य

सरकारी राजस्व प्राप्तियां अनियमित रूप से समितियों के पास जमा करवाई गई

वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निदेशक, पर्वतारोहण तथा सम्बद्ध खेलकूद, मनाली (कुल्लू जिला) तथा निदेशक, पशुपालन द्वारा 5.35 करोड़ रू0 की राशि की सरकारी राजस्व प्राप्तियां, समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समिति/बोर्ड के पास जमा करवाई गई।

माल की फर्जी बुकिंग

वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपलब्ध निधियों को प्रयुक्त किया हुआ दर्शाने के लिए सिंचाई तथा जन-स्वास्थ्य विभाग के बारह मण्डलों तथा लोक निर्माण विभाग के ग्यारह मण्डलों ने 14.85 करोड़ रू0 की लागत के माल की फर्जी बुकिंग की।

सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यकलाप (खण्ड-।।)

इस खण्ड में सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों पर एक विहंगावलोकन तथा (i) एग्रो इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड का परिचालन निष्पादन (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पारेषण एवं वितरण स्कीमों का कार्यान्वयन (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में जनशक्ति प्रबन्धन (iv) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में बिलिंग एप्लीकेशनों सम्बन्धी सूचना प्रौद्योगिकी की लेखापरीक्षा समीक्षा तथा (v) हिमाचल प्रदेश वित्त निगम में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर समीक्षाएं अंतर्विष्ट हैं। इसमें ब्याज की परिहार्य अदायगी के कारण हानि, परिहार्य अतिरिक्त व्यय, दोषपूर्ण क्रय प्रणाली, एक संभरक को अनुचित अनुग्रह, दोषपूर्ण आदेश, गलत बिलिंग, आबकारी शुल्क की परिहार्य अदायगी, आदि पर टिप्पणियों से अन्तर्विष्ट 14 परिच्छेद भी सम्मिलित हैं।

मुख्य-मुख्य बातें

- अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार नौ क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सात सरकारी कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम) ने हानियां उठाई थी। तीन क्रियाशील सरकारी कम्पनियों तथा दो क्रियाशील सांविधिक निगमों की संचित हानियां इनकी प्रदत्त पूंजी से बढ़ गई हैं।
- एक क्रियाशील सरकारी कम्पनी 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले विगत पांच वर्षों से हानियां वहन करते हुए नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होती जा रही थी।
- एग्रो इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड में प्रारम्भ से ही बक्सा निर्माण संयंत्र की उपयोगिता क्षमता बहुत कम थी, कम क्षमता उपयोगिता के परिणामस्वरूप स्टॉफ को निरर्थक वेतन तथा मजदूरी की अदायगी हुई तथा कम्पनी राज्य के सेब उत्पादकों को उचित दरों तथा समय पर पैकिंग सामग्री उपलब्ध करवाने में भी विफल रही।
- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में पारेषण एवं वितरण स्कीमों को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ था; सम्बन्धित प्राधिकारियों से अनुमति लिए बिना स्कीमें आरम्भ की गई; क्षेत्र की विद्युत आवश्यकता का अवास्तविक निर्धारण किया गया, जिसके फलस्वरूप अनुत्पादक व्यय हुआ तथा पारेषण एवं वितरण हानियां हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित स्तर के भीतर रखने में विफलता हुई।
- बोर्ड ने 1991 के उपरांत जनशक्ति मानकों का संशोधन नहीं किया था, यह हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दैनिक मजदूरी पर नियुक्त व्यक्तियों की नियमितता का औचित्य नहीं बता सका, जनशक्ति की प्रतिनियुक्ति तथा उपयोगिता की समीक्षा करने के लिए निगम स्तर पर कोई स्वतंत्र अनुश्रवण इकाई नहीं थी तथा कुशल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट कर्तव्यों हेतु अकुशल व्यक्ति प्रतिनियुक्त किए गए।
- बोर्ड में कम्प्यूटरीकरण का कार्यान्वयन करने में अनुचित विलम्ब हुआ था, स्पॉट बिलिंग मशीनों में डाटा डॉउनलोड करने हेतु पोर्टों के प्रावधान के बिना इलैक्ट्रॉनिक मीटर खरीदे गए, प्रक्रिया नियंत्रण के दोषपूर्ण होने के फलस्वरूप मांग प्रभारों की गलत बिलिंग हुई तथा मास्टर डाटा अपूर्ण पाया गया।
- हिमाचल प्रदेश वित्त निगम में ऋण आवेदनपत्रों का मूल्यांकन दोषपूर्ण था, अनुश्रवण एवं अनुसरण प्रणाली दुर्बल थी तथा निगम ने एक समय पर समायोजन स्कीम के अन्तर्गत मामलों का निपटारा करने के लिए न तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के दिशा निदेशों और न ही अपने दिशा निदेशों का अनुसरण किया।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त लेन देन लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना-जांच से ब्याज की परिहार्य अदायगी, परिहार्य व्यय, दोषपूर्ण क्रय प्रणाली, एक संभरक को अनुचित अनुग्रह तथा दोषपूर्ण आदेशों, आदि के कारण हुई हानि के मामले भी उद्घाटित हुए।

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

परिचय

राज्य में 31 मार्च 2006 को 18 सरकारी कम्पनियों (चार अक्रियाशील कम्पनियों सहित) तथा तीन सांविधिक निगमों से समाविष्ट 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2006 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ख क्षेत्र के अंतर्गत दो कम्पनियां आती थीं। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश 31 मार्च 2005 को 3561.30 करोड़ रू0 से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 3743.45 करोड़ रू0 हो गया। अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश 31 मार्च 2005 को 1359 करोड़ रू0 से घटकर 31 मार्च 2006 को 705.26 करोड़ रू0 रह गया।

बकाया लेखों को अंतिम रूप देना

14 सरकारी कम्पनियों तथा तीन सांविधिक निगमों में से नौ सरकारी कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम के लेखे 30 सितम्बर 2006 को एक से चार वर्षों के मध्य की अवधियों तक बकाया में थे।

लाभ तथा लाभांश

अद्यतन अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार क्रियाशील 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (14 सरकारी कम्पनियां तथा तीन सांविधिक निगम), सात सरकारी कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम ने क्रमश: 19.18 करोड़ रू0 तथा 20.48 करोड़ रू0 का सकल लाभ अर्जित किया।

2005-06 के दौरान केवल एक कम्पनी ने 52.73 लाख रू0 का लाभांश घोषित किया।

हानि उठाने वाली कम्पनियां/निगम

नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (7 सरकारी कम्पनियां तथा 2 सांविधिक निगम) ने अपने नवीनतम वित्तीय लेखाओं के अनुसार 49.64 करोड़ रू0 की सकल हानि वहन की। हानि वहन करने वाली क्रियाशील सरकारी कम्पनियों में से तीन कम्पनियों ने 94.97 करोड़ रू0 की सकल हानियां संचित की थी जो उनकी कुल 39.67 करोड़ रू0 की प्रदत्त पूंजी से बढ़ गई। दो सांविधिक निगमों ने 37.93 करोड़ रू0 की सकल हानियां वहन की। हानि वहन करने वाले इन दो सांविधिक निगमों की हानि 456.72 करोड़ रू0 तक संचित हो गई जो उनकी 281.08 करोड़ रू0 की सकल पूंजी से बढ़ गई थी।

निष्पादन समीक्षाएं

एग्रो इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड का परिचालन निष्पादन

नालीदार बक्सों का विनिर्माण करने के उद्देश्य से फरवरी 1987 में कम्पनी को संस्थापित किया गया था।

उत्पादन योजना तथा क्षमता उपयोगिता

कम्पनी राज्य सरकार पर बक्सों के विनिर्माण हेतु लक्ष्य निर्धारण, उनकी बिक्री दर तथा प्रत्येक बक्से की बिक्री हेतु दिए जाने वाले उपदान के लिए निर्भर रही है। कम्पनी प्रारम्भ से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित उपयोगिता क्षमता प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुई। वास्तविक उपयोगिता क्षमता प्रारम्भ से ही केवल 1.85 तथा 34.37 प्रतिशत के मध्य थी। निम्न क्षमता उपयोगिता के परिणामस्वरूप 2001-2006 के दौरान 4.49 करोड़ रू0 के व्यर्थ वेतन तथा मजदूरी का भुगतान हुआ।

बक्सों की बिक्री में कम शेयर

राज्य में 20 किलोग्राम के बक्से की बिक्री में कम्पनी का शेयर 2001-2002 में 48.51 प्रतिशत से गिरकर 2005-06 में 7.94 प्रतिशत रह गया था। इस प्रकार, कम्पनी राज्य के सेब उत्पादकों को उपयुक्त दरों तथा समय पर पैकिंग सामग्री उपलब्ध करवाने में विफल रही।

फालतू जनशक्ति

सरकार/कम्पनी फालतू जनशक्ति को कम करने में विफल रही। फालतू जनशक्ति के वेतन तथा मजदूरी का वार्षिक भार 45 लाख रू0 था।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

पारेषण एवं वितरण स्कीमों का कार्यान्वयन

स्कीमों को पूर्ण करने में विलम्ब

स्कीमों को पूर्ण करने में विलम्ब था, जिसके परिणामस्वरूप 65.80 करोड़ रू0 की लागत वृद्धि हुई तथा पारेषण एवं वितरण हानियों व अतिरिक्त विद्युत बिक्री में परिकल्पित बचतों की प्राप्ति न होने के कारण बोर्ड को 158.77 करोड़ रू0 के कार्यक्षम राजस्व से भी वंचित रहना पड़ा।

अनुमति लिए बिना स्कीमें प्रारम्भ करना

सम्बद्ध प्राधिकारियों से अनुमति लिए बिना स्कीमों को आरम्भ करने के फलस्वरूप 12.32 करोड़ रू0 के निष्फल व्यय के अतिरिक्त इस व्यय पर 8.38 करोड़ रू0 की ब्याज हानि हुई। इसके आगे 3.76 करोड़ रू0 मूल्य के 21.5 मिलियन यूनिटों की सीमा तक पारेषण एवं वितरण हानियां कम करने के वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

अनुत्पादक व्यय

एक क्षेत्र की विद्युत आवश्यकता के गलत तथा अवास्तविक निर्धारण के फलस्वरूप तीन सब-स्टेशनों के निर्माण पर 6.01 करोड़ रू0 का अनुत्पादक व्यय हुआ।

अनुदान प्राप्त न करना

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित की गई चालू पद्धति सुधार स्कीमों के निष्पादन में विफलता के परिणामस्वरूप त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध होने योग्य 2.75 करोड़ रू0 का अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

पारेषण एवं वितरण हानियों को निर्धारित स्तर के भीतर रखने में विफलता

हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियों को निर्धारित स्तर के भीतर रखने में विफलता के फलस्वरूप 2004-2006 वर्षों के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय 72.25 करोड़ रू0 मूल्य के 289 मिलियन यूनिटों की अस्वीकृति हुई।

जनशक्ति प्रबन्धन

जनशक्ति मानकों का संशोधन न करना

बोर्ड वर्ष 1991 की जनशक्ति के मानकों का अनुसरण कर रहा है, जिन्हें कार्य स्थितियों एवं संरचना में परिवर्तन के बावजूद संशोधित नहीं किया गया है। मानकों की समीक्षा हेतु 1996 तथा 2001 में गठित समितियों की सिफारिशें भी स्वीकृत नहीं की गई जिसके लिए अभिलेख में कोई कारण नहीं थे।

दैनिक मजदूरीभोगियों का अनुचित नियमितीकरण

बोर्ड हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दैनिक मजदूरीभोगियों के नियमितकरण को उचित सिद्ध नहीं कर सका। अत: हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने उनके वेतन के सम्बन्ध में 37.24 करोड़ रू0 अस्वीकृत कर दिए, परिणामत: शुल्क दर के माध्यम से इस लागत की अवसूली हुई।

जनशक्ति की अनुपयुक्त तैनाती

उपलब्ध जनशक्ति की उपयुक्त तैनाती तथा उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निगम स्तर पर स्वतंत्र अनुश्रवण युनिट नहीं था। परिणामत: जनशक्ति की अनुपयुक्त तैनाती और नियमित दैनिक मजदूरीभोगियों का अनुपयोग हुआ, जिससे निष्क्रिय मजदूरी (100.49 करोड़ रू0) का भुगतान, स्टॉफ को दिए गए कार्य को बाहरी पार्टियों से करवाने पर किया गया अतिरिक्त व्यय (1.42 करोड़ रू0) तथा राजस्व प्राप्ति (48.77 करोड़ रू0) में विलम्ब हुआ।

बिलिंग एप्लीकेशनों सम्बन्धी सूचना प्रौद्योगिकी की लेखापरीक्षा समीक्षा

कम्प्यूटरीकरण में विलम्ब

बोर्ड द्वारा कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन में अनुचित विलम्ब किया गया। औद्योगिक बिलिंग के कम्प्यूटरीकरण का प्रारम्भिक लक्ष्य अधूरा रहा, क्योंकि उच्च वेग राजस्व के 74.45 प्रतिशत के सम्बन्ध में कम्प्यूटर के माध्यम से बिलिंग नहीं की गई थी।

पोर्टों के प्रावधान के बिना इलैक्ट्रॉनिक मीटरों का क्रय

बोर्ड ने 15.98 करोड़ रू0 के इलैक्ट्रॉनिक्स मीटरों का क्रय किया था जिनमें स्पॉट बिलिंग मशीन द्वारा डॉटा डाऊनलोड करने हेतु पोर्ट्स का प्रावधान नहीं था, जो कम्प्यूटरीकृत बिलिंग में सहायक हो सकता था।

वसूलियों तथा बकाया राशियों का अनुश्रवण न करना

वसूलियों के अनुश्रवण हेतु पद्धति प्रयुक्त नहीं की जा रही थी, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक मास कम वेग तथा उच्च वेग उपभोक्ताओं से प्रति मास बकाया रहने वाली राशि पर 2.04 करोड़ रू0 के ब्याज की हानि हुई।

मांग प्रभारों की गलत बिलिंग

प्रक्रिया नियंत्रण में कमी के कारण मांग प्रभारों की गलत बिलिंग हुई। तंत्र उच्च वेग बिलिंग में 15.20 लाख रू0 के मांग प्रभारों तथा सरकार से वसूल किए जाने वाले 11.84 लाख रू0 के उपदान की संगणना में विफल रहा। सूचना प्रौद्योगिकी पर्यावरण में आंतरिक नियंत्रण की विफलता के कारण इन कमियों को दूर नही किया जा सका।

हिमाचल प्रदेश वित्त निगम

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

वार्षिक व्यापार योजना तथा संसाधन पूर्वानुमान तैयार करने में विलम्ब

निगम ने बिना किसी आधार सामग्री अथवा बाजार अध्ययन के आधार पर सम्बन्धित वर्ष के प्रारम्भ होने के एक से तीन मास के उपरान्त वार्षिक व्यापार योजना तथा संसाधन पूर्वानुमान तैयार किए।

नियम पुस्तिकाएं तैयार न करना

निगम द्वारा कार्यात्मक तथा आंतरिक लेखापरीक्षा नियम पुस्तिकाएं तैयार नहीं की गई हैं।

ऋण आवेदन पत्रों का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन

ऋण आवेदन पत्रों का मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि प्रबन्धन मूल्यांकन अपर्याप्त था। प्रवर्तकों की वित्तीय सुदृढ़ता तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की स्वीकार्यता के समर्थन में कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया गया था।

दुर्बल अनुश्रवण प्रणाली

पूर्व तथा पश्च आवधिक संवितरण निरीक्षण न करने, परीक्षित लेखे प्राप्त न करने तथा वित्तपोषित इकाइयों के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण अनुश्रवण तथा अनुसरण प्रणाली दुर्बल थी।

अनिष्पादक परिसम्पत्तियां कम करने में विफल रहना

निगम अनिष्पादक परिसम्पत्तियों का स्तर 10 प्रतिशत के सहमत स्तर तक नीचे लाने में विफल रहा। 2001-2002 से 2005-2006 के दौरान कुल ऋण परिसम्पत्तियों के प्रति अनिष्पादक परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता 48.30 तथा 75.47 प्रतिशत के मध्य थी।

एक ही समय पर समायोजन स्कीम के लिए दिशानिदेशों का अनुसरण करने में विफलता

एक ही समय पर समायोजन स्कीम के अंतर्गत मामलों का निपटारा करने हेतु निगम ने न तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के दिशानिदेशों और न ही अपने दिशानिदेशों का अनुसरण किया। इसके फलस्वरूप कई ऐसे मामले निपटाए गए जिनकी राशि ऋण के बकाया मूलधन की राशि से कम थी।

लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियां

ब्याज की परिहार्य अदायगी के कारण हानि

मासिक लेवी चीनी उपदान दावे प्रस्तुत करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम द्वारा निर्धारित प्रणाली का अनुसरण करने में विफल रहने के फलस्वरूप दावे प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ। परिणामत: विलम्बित प्रतिपूर्ति के कारण 24.16 लाख रू0 के ब्याज की हानि हुई।

परिहार्य व्यय

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने कर्मचारी भविष्य निधि से सम्बन्धित अभिदान तथा अंशदान की अदायगी में विलम्ब किया, जिसके फलस्वरूप 41.52 लाख रू0 की शास्ति तथा ब्याज की अदायगी की गई।

दोषपूर्ण क्रय प्रणाली

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा खम्भों के कम भार के संदर्भ में क्रय आदेश में आनुपातिक कमी से सम्बन्धित उपयुक्त खण्ड सम्मिलित करने में विफल रहने के फलस्वरूप 1.22 करोड़ रू0 का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

एक सम्भरक को अनुचित अनुग्रह

इस्पात के नलदार खम्भों की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पुनरावृत्त क्रय आदेश का निरसन करने के फलस्वरूप संभरक को 67.11 लाख रू0 का अनुचित लाभ दिया गया।

दोषपूर्ण आदेशों के कारण हानि

एक औद्योगिक इकाई को पूर्वव्यापी प्रभाव सहित अपनी संविदा मांग का संशोधन अनुमत करने से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के निर्णय के फलस्वरूप 50.10 लाख रू0 के संविदा मांग प्रभारों की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां)

राजस्व प्राप्ति प्रतिवेदन में 58.32 करोड़ रू0 की राशि की एक समीक्षा सहित 28 परिच्छेद अन्तर्विष्ट है। सरकार ने 12.32 करोड़ रू0 की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की जिसमें से अगस्त 2006 तक 0.28 करोड़ रू0 की वसूली की जा चुकी थी।

सरकार की वर्ष 2005-2006 की कुल प्राप्तियां 6,558.62 करोड़ रू0 थी, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक थी। 2,186.69 करोड़ रू0 की राजस्व प्राप्तियों में 1,497.02 करोड़ रू0 कर राजस्व के तथा 689.67 करोड़ रू0 कर-भिन्न राजस्व के सम्मिलित थे। राज्य ने विभाज्य संघीय करों में से अपने राज्यांश के रूप में 2004-2005 के दौरान प्राप्त 537.32 करोड़ रू0 के प्रति 493.26 करोड़ रू0 प्राप्त किए। भारत सरकार से 3,878.67 करोड़ रू0 सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त किए। कर प्राप्तियों का मुख्य भाग बिक्री, व्यापार, आदि पर कर (726.98 करोड़ रू0), राज्य आबकारी (328.97 करोड़ रू0), वाहन कर (101.51 करोड़ रू0), विद्युत कर एवं शुल्क (89.29 करोड़ रू0), माल एवं यात्री कर (42.61 करोड़ रू0), तथा स्टाम्प व पंजीकरण फीस (82.43 करोड़ रू0) से प्राप्त हुआ। कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तियां विद्युत (251.47 करोड़ रू0), वानिकी व वन्य प्राणी (149.63 करोड़ रू0) तथा अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग (42.90 करोड़ रू0) से थीं।

लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2005-2006 के दौरान बिक्री कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 1037 मामलों में 219.88 करोड़ रू0 की राशि के अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण/राजस्व हानि, परित्यक्त राजस्व उद्घाटित हुए।

बिक्री कर

भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु लम्बित सरकारी देयों से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:

चार जिलों में बकाया प्रमाणपत्रों में ब्याज के 1.64 करोड़ रू0 तथा कर देयों के 1.55 करोड़ रू0 सम्मिलित नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप 3.19 करोड़ रू0 के सरकारी राजस्व को कम घोषित किया गया।

आठ जिलों में 18 दोषियों की सम्पत्ति नीलामी हेतु जब्त की गई। किन्तु सम्बन्धित मण्डलीय आयुक्तों से उनकी नीलामी हेतु अनुमति प्राप्त नहीं की गई, जैसाकि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप 19.93 करोड़ रू0 के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हो पाई।

विभाग द्वारा अपर्याप्त कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप चार जिलों के नौ मण्डलों में 1.18 करोड़ रू0 की वसूली नहीं हुई।

दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा कर की गलत छूट/रियायती दर प्रदान करने के परिणामस्वरूप 1.07 करोड़ रू0 के कर का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण हुआ।

राज्य आबकारी

पांच जिलों के पांच लाईसैंसधारी वर्ष 2004-2005 के दौरान लाईसैंस फीस तथा उस पर ब्याज की मासिक किश्त का भुगतान करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप 39.97 लाख रू0 के सरकारी देयों की वसूली नहीं हो पाई।

वाहन, माल एवं यात्री कर

सात क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा विशेष पथ कर तथा शास्ति के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप 18.98 करोड़ रू0 के सरकारी देयों की वसूली नहीं हो पाई।

18 पंजीयन एवं अनुज्ञापन कार्यालयों तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण, शिमला में 99.61 लाख रू0 के सांकेतिक कर की वसूली नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, सांकेतिक कर की अदायगी न करने के कारण 99.61 लाख रू0 की शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

वन प्राप्तियां

"वनों का दोहन" की समीक्षा से निम्नवत् उद्घाटित हुआ:

विभाग 31 मार्च 2005 तक लम्बित संग्रहण बकायों की स्थिति सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसने निगम के प्रति 91.70 करोड़ रू0 के लम्बित संग्रहण दर्शाए, जबकि निगम ने केवल 11.70 करोड़ रू0 स्वीकार किए।

निगम द्वारा प्रस्तुत भारित औसत बिक्री दर की शुद्धता सुनिश्चित करने का कोई तंत्र विद्यमान नहीं था जो रॉयल्टी की दरों का निर्धारण करने का आधार था।

मूल्य निर्धारण समिति/माननीय विधानसभा तथा प्रधान मुख्य अरण्यपाल को आपूरित किए गए आंकड़ों में अंतर पाया गया। तद्नुसार रॉयल्टी की दरों का सही निर्धारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मूल्य समिति द्वारा आधे टूटे हुए वृक्षों हेतु कटौती प्रदान करने के निर्णय में कमी के परिणामस्वरूप 1.63 करोड़ रू0 की रॉयल्टी का कम निर्धारण हुआ।

यद्यपि निगम द्वारा 2001-2002 से 2004-2005 के दौरान 276 समूहों को कार्य अवधि में समयवृद्धि के लिए आवेदन किया गया था, किन्तु इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रू0 के विस्तार शुल्क की वसूली नहीं हुई।

बिरोजा ब्लेजों की रॉयल्टी की विलम्ब से की गई अदायगी पर ब्याज प्रभारित न करने के परिणामस्वरूप 1.75 करोड़ रू0 के राजस्व की कम वसूली हुई।

नि:स्रवण हेतु कम बिरोजा ब्लेज सौंपने तथा बिरोजा नि:स्रवकों से पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के परिणामस्वरूप 1.78 करोड़ रू0 के राजस्व की वसूली नहीं हो पाई।

निस्सारण के उपरांत बिक्री डिपुओं तक इमारती लकड़ी का परिवहन करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप इसका निम्नीकरण हुआ जिससे रॉयल्टी निर्धारित करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप 6.38 करोड़ रू0 के राजस्व की हानि हुई।

अन्य कर- कर भिन्न प्राप्तियां

33 उप पंजीयक कार्यालयों में 137 मामलों में प्रलेखों के गलत वर्गीकरण तथा हस्तांतरण प्रलेख में गलत बाजारी मूल्य निर्धारित करने के परिणामस्वरूप 57.81 लाख रू0 के स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

20 सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डलों में 31 मार्च 2005 तक 12.37 करोड़ रू0 के जल प्रभारों की वसूली नहीं हो पाई थी, जिसके कारण उस सीमा तक राजस्व की हानि हुई।